

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2 (एस.ई.ए.सी.-2), छत्तीसगढ़ की दिनांक 22/08/2025 को संपन्न 682वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2 (एस.ई.ए.सी.-2), छत्तीसगढ़ की दिनांक 22/08/2025 को श्री विक्रम सिंह लाकड़ा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2 की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. थुलासिंगम कलाइचेलवन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2
2. डॉ. कोसियाथु राघवन नायर हरि, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2
3. श्री निलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2
4. श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2
5. श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स मुरकी सेण्ड क्वारी (प्रो.- श्रीमती जगजीत कौर), ग्राम पंचायत मोरधा, ग्राम-मुरकी, तहसील एवं जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2804)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 451151 एवं 27/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.8 हेक्टेयर एवं 96,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक - 569 एवं बगनई नदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री नरेन्द्र सिंह ढिल्लन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये।

		अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत मोरधा दिनांक 07/11/2017	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 13/09/2023	संलग्न है।
चिह्नांकित/सीमांकित	दिनांक 09/11/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 09/11/2022	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 09/11/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - श्रीमती जगजीत सिंह कौर दिनांक - 31/05/2023 वैधता अवधि - 6 माह	एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम- राजकट्टी 435 मीटर स्कूल ग्राम- राजकट्टी 845 मीटर अस्पताल- राजकट्टी 800 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग- 16.5 कि.मी. राज्यमार्ग- 1.6 कि.मी.	रोड ब्रिज- 1.6 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई- अधिकतम 202 मीटर, न्यूनतम 118 मीटर खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 997 मीटर, न्यूनतम 980 मीटर खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 65 मीटर, न्यूनतम 38 मीटर खदान की नदी तट के किनारे से दूरी - अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 21 मीटर	संलग्न है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई - 3-4 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा-96,000	संलग्न है।

	घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गड्ढे (Pits) की संख्या – 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवलस (Levels) दिनांक 27/01/2024 जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।	प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर लिये गये रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	1,100 नग वृक्षारोपण नदी तट पर	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 12,33,860 रुपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र		प्रस्तुत नहीं किया गया है।
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53.42	2%	1.06	Following activities at Nearby, Village- Murki	
			Plantation Work at Govt. Land	4.91
			Total	4.91

सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय भूमि में वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 450 नग पौधों के लिए राशि 33,750 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 76,320 रुपये, खाद के लिए राशि 4,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,83,570 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,07,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम मुरकी के शासकीय

भूमि (खसरा क्रमांक 112, रकबा 4.8 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत ग्राम मुरकी के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु भूमि खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. नदी तट पर किये जाने वाले 1,100 नग वृक्षारोपण हेतु भूमि खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर लिये गये रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. के तहत ग्राम मुरकी के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु भूमि खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/12/2024 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 682वीं बैठक दिनांक 22/08/2025 :

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई : -

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 379/खनि 02/रेत (Rule 7)/न.क्र. 38/1996 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/02/2024 के अनुसार -
“छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय), नियम 2019 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.05.2023 (प्रकाशन दिनांक 15.05.2023) के नियम 7 (4) परन्तुक के तहत संचालक को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण सम्मति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु आशय पत्र की वैधता में अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।”
2. नदी तट भूमि खसरा क्रमांक 569 पर किये जाने वाले 1,100 नग वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत मोरधा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. वन विभाग एन.ओ.सी. -
कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/ मा.चि./1239 महासमुंद, दिनांक 21/03/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
4. प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रीड बिन्दुओं पर लिये गये रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत प्रस्तुत किया गया है।

5. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53.42	2%	1.06	Following activities at Nearby, Village Pond, Khasra no. 456, Village- Murki	
			Plantation work around village pond	4.99
			Total	4.99

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारो ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 200 नग पौधों के लिए राशि 15,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,48,700 रुपये, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 66,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,29,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,70,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम मुरकी के तालाब के चारो ओर (खसरा क्रमांक 456) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। सी.ई.आर. के तहत ग्राम मुरकी के तालाब के चारो ओर वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत मोरधा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
16. रेत के पुनःभरण अध्ययन (Replenishment Study) के साथ वर्ष 2025 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
17. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
18. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावे। भारी वाहनों जैसे- जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। बगनई नदी में वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-



1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
2. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –
 - i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स मुरकी सेण्ड क्वारी (प्रो.-श्रीमती जगजीत कौर) को ग्राम-मुरकी, तहसील एवं जिला-महासमुंद, खसरा क्रमांक 569, कुल लीज क्षेत्रफल-4.8 हेक्टेयर में से कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
4. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स झिरियाकला लाईम स्टोन (माईनर मिनरल) क्वारी (प्रो.-श्री भीखमचंद शर्मा), ग्राम-झिरियाकला, तहसील-पंडरिया व जिला-कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2037)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 270518/2022, दिनांक 22/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/09/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम-झिरियाकला, तहसील-पंडरिया, जिला-कबीरधाम स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 395, कुल क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-3,967.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भीखमचंद शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण :-

- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 395, कुल क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर, क्षमता-3,971 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कबीरधाम द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 20/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 19/03/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 19/03/2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि

उनके द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 01/11/2022 को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 89/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 29/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	2,052.75
2018-19	2,213.75
2019-20	2,093.00
2020-21	1,771.00
2021-22	2,817.50

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत झिरियाकला का दिनांक 12/09/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलॉग विथ इनक्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला-बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्र. 240/2/खनि/चूनापत्थर/उ.यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 22/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 822/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 23/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 823/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 23/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, हॉस्पिटल, पूल, नहर, एनिकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, अस्पताल, रेल लाईन, जल आपूर्ति एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री भीखमचंद शर्मा के नाम पर है। लीज डीड दिनांक 09/02/1996 से 16/04/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 14 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/04/2012 से 16/04/2026 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय मण्डल प्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा के ज्ञापन क्र./वविनि/2021-22/मा.चि./1368 कवर्धा, दिनांक 18/01/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-झिरियाकला 800 मीटर, स्कूल ग्राम-झिरियाकला 1 कि.मी. एवं अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिरियाकला 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। हम्प नदी 8.5 कि.मी. एवं बांध 1.8 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,13,325 टन, माईनेबल रिजर्व 28,129 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 26,722 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,977 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,137 घनमीटर है, ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 530 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,967.5
द्वितीय	3,967.5
तृतीय	3,967.5
चतुर्थ	3,967.5
पंचम	3,967.5

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (400 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	28,000	2,800	2,800	2,800	2,800
	फेंसिंग हेतु राशि	73,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	4,000	400	400	400	400
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,16,000	96,000	96,000	96,000	96,000
कुल राशि = 6,17,800		2,21,000	99,200	99,200	99,200	99,200

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27	2%	0.54	Following activities at Govt. Middle School Village - Jhiriyakala	
			Plantation in School	0.78
			Total	0.78

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (आंवला, जामुन, कदम, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 4,800 रुपये, ट्री-गार्ड हेतु राशि 12,000 रुपये, खाद के लिए राशि 300 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 29,100 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,840 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य हेतु स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में 100 नग वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में की गई व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में दिनांक 11/11/2022 को किये गये आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। भारत

A. Proposals involving expansion of existing EC:

At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। इस संबंध में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण हेतु 10 फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा पाया गया कि माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है।
4. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
10. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाया जाए।
2. माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जोन में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/01/2025 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 682वीं बैठक दिनांक 22/08/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में बताया गया कि आवेदित स्थल को पूर्व में जारी डी.ई.आई.ए.ए., जिला-कबीरधाम द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उत्खनन क्षमता 3,971 टन प्रति वर्ष हेतु जारी किया गया था। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित उत्खनन क्षमता 3,967.5 टन/वर्ष है जो कि पूर्व में स्वीकृत उत्खनन क्षमता 3,971 टन/वर्ष से कम है, यह क्षमता विस्तार का प्रकरण नहीं है। अतः क्षमता विस्तार का प्रकरण नहीं होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का स्व-प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया है।
2. माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जोन में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 822/ख.लि. /खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 23/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 0.52 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ

2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक - मेसर्स झिरियाकला लाईम स्टोन (माईनर मिनरल) क्वारी (प्रो.-श्री भीखमचंद शर्मा) को ग्राम-झिरियाकला, तहसील-पंडरिया व जिला-कबीरधाम के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 395 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर, क्षमता-3,967.5 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स फरहदा लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री एकांत पारप्यानी), ग्राम-फरहदा, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2482)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/431191/2023, दिनांक 28/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-फरहदा, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 602/1, 602/2 एवं 602/3, कुल क्षेत्रफल-1.197 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-20,000.3 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 502वीं बैठक दिनांक 13/12/2023:

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई. एस.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
भू-स्वामित्व	खसरा क्रमांक 602/1 एवं 602/3 श्री लक्ष्मणप्रसाद, खसरा क्रमांक 602/2 श्री नंदलाल व श्री नेमदास जासवानी के नाम पर है।	उत्खनन हेतु भू-स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बैठक का विवरण	502वीं बैठक दिनांक 13/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री एकांत पारप्यानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - चूना पत्थर खसरा क्रमांक - 602/1, 602/2 एवं 602/3 क्षेत्रफल - 1.197 हेक्टेयर क्षमता - 20,000.3 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 23/01/2018 वैधता अवधि - 5 वर्षों	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-बलौदाबाजार -भाटापारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 22/01/2024 तक वैध है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित - नहीं पूर्व में जारी ई.सी. का स्व-प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।	पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक 12/12/2023 वर्ष 2018-19 में 17,250 टन वर्ष 2019-20 में 9,050 टन वर्ष 2020-21 में 500 टन वर्ष 2021-22 में 10,850 टन वर्ष 2022-23 में 5,280 टन	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत फरहदा दिनांक 03/02/2018	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 22/11/2017	
500 मीटर	दिनांक 12/12/2023	कुल 2 खदानें, रकबा 2.735 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 12/12/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	लीज धारक - श्री एकांत पारप्यानी अवधि-02/02/2018 से 01/02/2048	
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी-मटिया 820 मीटर स्कूल-फरहदा 2.4 कि.मी. अस्पताल- भाटापारा 7.40 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग 20.30 कि.मी. राज्यमार्ग 5.10 कि.मी	तलाब - 1 कि.मी. जमुनिया नदी 2.40 कि.मी बनियारी नाला 1.65 कि.मी नहर 2.7 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व - जियोलॉजिकल 3,23,327 टन माईनेबल 1,87,106 टन रिकवरेबल 1,68,395 टन प्रस्तावित गहराई 12 मीटर	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 20,000.3 टन द्वितीय 20,000.7 टन तृतीय 20,000.3 टन चतुर्थ 20,000.6 टन पंचम 20,000.2 टन षष्ठम 20,000.3 टन सप्तम 20,000.3 टन

	बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष क्रशर स्थापित – नहीं	अष्टम 20,000.3 टन नवम 4,195.4 टन दशम 4,197.8 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,164.48 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ (240 वर्गमीटर, 4 मीटर गहराई तक) क्वारी प्लान में उल्लेख – हाँ
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 0.5 मीटर मात्रा – 3,208.72 घनमीटर	7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाना बताया गया है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 4 घनमीटर प्रतिदिन स्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 633 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 10,65,920 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम. एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा

		निर्देशों का पालन किया जाएगा
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3.932 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34	2%	0.68	Following activities at, Government Primary School Village- Farhada	
			Plantation	1.34
			Total	1.34

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर वृक्षारोपण के तहत (पीपल, नीम, आम, जामुन, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/04/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/08/2024 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 682वीं बैठक दिनांक 22/08/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमंडल, जिला-बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/689 बलौदाबाजार, दिनांक 06/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन कक्ष क्रमांक सीपीएफ 1 सूमा की सीमा से 12.41 कि.मी. एवं कक्ष क्रमांक 24 खैरवारडीह की सीमा से 9.33 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। वन्यजीव अभ्यारण्य बारनवापारा 56 कि.मी. दूर है एवं टायगर रिजर्व उदन्ती-सीतानदी 178 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
3. उत्खनित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है। प्लान के अनुसार 432 वर्गमीटर क्षेत्र 1.5 मीटर गहराई तक उत्खनित है। जिसे 648 घनमीटर वेस्ट डम्प एवं मिट्टी से पुनःभराव किया जायेगा।

4. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने तथा प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर को पत्र क्रमांक 446/एस.ई.ए.सी., छ.ग./ब.ब. भाटापारा 2482, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/04/2024 द्वारा पत्र लेख किया गया।
5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र क्रमांक 444/एस.ई.ए.सी., छ.ग./ब.ब. भाटापारा 2482, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/04/2024 द्वारा पत्र लेख किया गया।
6. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/बी 3-3/न.क्र./2023 बलौदाबाजार, दिनांक 12/12/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.735 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-फरहदा) का क्षेत्रफल 1.197 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-फरहदा) एवं 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदान का कुल क्षेत्रफल 3.932 हेक्टेयर है जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
8. Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक – मेसर्स फरहदा लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री एकांत पारप्यानी) को ग्राम-फरहदा, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के खसरा क्रमांक 602/1, 602/2 एवं 602/3 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.197 हेक्टेयर, क्षमता- 20,000.30 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.-श्री सिद्धेश्वर प्रकाश अग्रवाल), ग्राम-पतेरापाली, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2322)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 420189/2023, दिनांक 28/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पतेरापाली, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 107, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टेयर में है। खदान द्वारा आवेदित उत्खनन क्षमता-10,526 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सिद्धेश्वर प्रकाश अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 107, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टेयर, क्षमता-2,581.8 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 15/03/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-
"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."
उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/03/2023 तक वैध थी।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में दिनांक 19/06/2023 एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर में दिनांक 19/06/2023 को आवेदन किया गया है।

समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- iii. निर्धारित शर्तानुसार 747 नग वृक्षारोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 17/क/खलि/न.क्र./2022 महासमुंद, दिनांक 05/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 31/12/2017	निरंक
01/01/2018 से 31/12/2018	432
01/01/2019 से 31/12/2019	301
01/01/2020 से 31/12/2020	63
01/01/2021 से 30/09/2021	780
01/10/2021 से 30/09/2022	882

समिति का मत है कि दिनांक 01/10/2022 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लोहड़ीपुर का दिनांक 17/04/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त-संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1490/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 23/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 17/क/खलि/न.क्र./2022 महासमुंद, दिनांक 05/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक हैं।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 17/क/खलि/न.क्र./2022 महासमुंद, दिनांक 05/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री सिद्धेश्वर प्रकाश अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/08/2010 से 18/08/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/08/2015 से 18/08/2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/1613 महासमुंद, दिनांक 20/04/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-पतेरापाली 500 मीटर, स्कूल ग्राम-पतेरापाली 500 मीटर एवं अस्पताल ग्राम-पतेरापाली 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,56,483 टन, माईनेबल रिजर्व 2,17,264 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,95,538 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,552 वर्गमीटर है। ओपन

कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 23 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 704 वर्गमीटर क्षेत्र 1.5 मीटर की ऊँचाई में आउट क्रॉप स्थित है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊँचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लारिस्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,525
द्वितीय	10,526
तृतीय	10,526
चतुर्थ	10,526
पंचम	10,526

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 897 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से वर्तमान में 747 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 150 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 19,000 रुपये, खाद के लिए राशि 760 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,56,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,75,760 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 6,27,920 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों ओर चैन लिंक फेंसिंग का कार्य पूर्व में ही किया जाना बताया गया है।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 510 वर्गमीटर क्षेत्र में 2 मीटर गहराई तक उत्खनन कार्य किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी के उत्खनित भाग का पुर्नभरण किया जा चुका है। समिति का मत है कि उपरोक्त के संबंध में फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. **उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be

developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. गैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र के उत्तर-पूर्वी दिशा में संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण 156 वर्गमीटर क्षेत्र एवं क्रशर बेल्ट स्थित होने के कारण 517 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख क्वारी प्लान में किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि क्वारी प्लान में लेण्ड यूस पैटर्न में क्रशर हेतु क्षेत्रफल निल बताया गया है, जबकि क्रशर बेल्ट स्थित होने के कारण 517 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.80	2%	0.81	Following activities at, Village-Lohdipur	
			Plantation around village Pond	8.12
			Total	8.12

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल आदि) 50 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 11,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद के लिए राशि 250 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,56,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,87,250 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,25,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत लोहड़ीपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 87, क्षेत्रफल 1.34 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में रखे जाने तथा उसका उपयोग वृक्षारोपण हेतु किये जाने एवं खदान से निकलने वाली मिट्टी को कहीं भी विक्रय नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित मापदण्डों के अनुसार डी.जी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ के द्वारा ही ब्लास्टिंग कराया जाएगा।

21. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. लीज क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में) कोई भी उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है और भविष्य में भी कोई उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 01/10/2022 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान के ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा। हमारे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
6. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित का प्रस्तुत किया जाएगा।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि मेरे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा।
11. क्वारी प्लान में लेण्ड यूस पैटर्न में क्रशर हेतु क्षेत्रफल निल बताया गया है, जबकि क्रशर बेल्ट स्थित होने के कारण 517 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
12. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
13. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/08/2024 एवं 26/11/2024 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 682वीं बैठक दिनांक 22/08/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3604, दिनांक 12/09/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के पत्र दिनांक 30/07/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 31/12/2017	निरंक
01/01/2018 से 31/12/2018	432
01/01/2019 से 31/12/2019	301
01/01/2020 से 31/12/2020	63
01/01/2021 से 30/09/2021	780
01/10/2021 से 30/09/2022	882
01/10/2022 से 30/09/2023	निरंक
01/10/2023 से 31/03/2024	निरंक

3. आवेदित खदान के ऊपरी मिट्टी को खदान के प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में रखा जावेगा, जिसका उपयोग खदान में हुए गढ़कों के पुनःभरण एवं वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा। हमारे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
6. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित का प्रस्तुत किया जाएगा।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि मेरे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में बताया गया कि लेण्ड यूस पैटर्न में क्रशर हेतु क्षेत्रफल निल इस कारण बताया गया है क्योंकि खदान की जमीन खसरा क्रमांक 107 से लगकर स्वयं की भूमि खसरा क्रमांक 105 है बिजली के ट्रांसफार्मर एवं कंट्रोल रूम एवं क्रेशर के मशीनरी का हिस्सा खसरा क्रमांक 105 में स्थित है जबकि क्रेशर बेल्ट स्थित होने के कारण एवं खदान में जाने के रास्ता हेतु 517 वर्ग फीट क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
12. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को क्रमांक 2496/एस. ई. ए. सी. , छ. ग./2322 दिनांक 08/01/2024 द्वारा पत्र लेख किया गया है।
13. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र क्रमांक 2496/एस. ई. ए. सी. , छ. ग./2322 दिनांक 08/01/2024 द्वारा एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु 2495/एस. ई. ए. सी. , छ. ग./2322 दिनांक 08/01/2024 द्वारा पत्र लेख किया गया है।
14. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
15. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 17/क/खलि/न.क्र./2022 महासमुंद, दिनांक 05/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.3 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

- a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक — मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.—श्री सिद्धेश्वर प्रकाश अग्रवाल) को ग्राम—पतेरापाली, तहसील—बसना, जिला—महासमुंद के खसरा क्रमांक 107, में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—1.3 हेक्टेयर, क्षमता—10,526 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर— श्री प्रशांत बोहरा), ग्राम—बनहरदी, तहसील—डोंगरगांव, जिला—राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1282)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए /सीजी /एमआईएन / 147648/2020, दिनांक 02/04/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 12/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—बनहरदी, तहसील—डोंगरगांव, जिला—राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 431/1, 2, 432/1, 2, 3, 433/1(पार्ट), कुल क्षेत्रफल—1.96 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—5,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/02/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बनहरदी का दिनांक 30/07/1996 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** - मॉडिफाईड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1752/ खनि02/ मा.प्ल. अनुमोदन /न.क्र.05 /2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 16/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/232/ख.लि.03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, क्षेत्रफल 1.761 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1771/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 23/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** - लीज पूर्व में श्रीमती पूर्णिमा बोहरा के नाम पर थी। वर्तमान में लीज महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर है। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 06/02/2007 से 05/02/2012 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 06/02/2012 से 05/02/2017 तक किया गया था। तत्पश्चात् लीज डीड में 10 वर्षों की, दिनांक 06/02/2017 से 05/02/2027 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
6. **भू-स्वामित्व** - भूमि श्रीमती पूर्णिमा बोहरा के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वन मण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./10-1/8873 राजनांदगांव, दिनांक 01/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 12 कि.मी की दूरी पर है।

9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम—मोहभट्टा 0.7 कि.मी., स्कूल ग्राम—बनहरदी 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम—बनहरदी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.5 कि.मी. दूर है। तालाब 0.6 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,35,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,70,177 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,39,682 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,368 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 10,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 43 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 2,700 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,000
द्वितीय	5,000
तृतीय	5,000
चतुर्थ	5,000
पंचम	5,000
छष्टम	5,000
सप्तम	5,000

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल से की जाएगी।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-
- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 131/1, 2, 432/1, 2, 3, 433/1 कुल क्षेत्रफल-1.96 हेक्टेयर, क्षमता – 5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव

द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
 - iii. वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
 - iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,368 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 510 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर (3,060 घनमीटर) की गहराई तक उत्खनित है। उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र का 5 मीटर (2,550 घनमीटर) गहराई को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव एवं रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:—
- “The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.”
- उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में क्रशर की स्थापना प्रस्तावित किया गया है। 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में केवल वृक्षारोपण किया जाना है। अतः क्रशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थानांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करे, तदनुसार रिजर्व की पुनःरीक्षित गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School, Village- Banhardi	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Potable Drinking water Facility	0.25
			Total	0.60

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- .0 विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
- .1 लीज डीड मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर हस्तांतरण किये जाने के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
- .2 क्रशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करे, तदनुसार रिजर्व की पुनरीक्षित गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
- .3 ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- .4 प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
- .5 सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- .6 परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/05/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की 379वीं बैठक दिनांक 19/06/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 34/ख. लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 12/05/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2010-11	2,300
2011-12	2,110
2012-13	1,400
2013-14	3,254
2014-15	6,895
2015-16	10,268
2016-17	4,920
2017-18	5,000
2018-19	5,000
2019-20	4,995
2020-21	3,000

2. लीज डीड मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर हस्तांतरण किये जाने के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. क्रशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करे, तदनुसार रिजर्व की पुनरीक्षित गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को सरल क्रमांक 2 से 5 तक की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(उ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1107/ख. लि.02/2014 राजनांदगांव, दिनांक 08/10/2014 द्वारा लीज डीड का हस्तांतरण मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर किया गया है।
2. क्रशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित कर, तदनुसार रिजर्व की पुनःरीक्षित गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. क्रशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करे, तदनुसार रिजर्व की पुनःरीक्षित गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ऊ) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. क्रशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करे, तदनुसार रिजर्व की पुनःरीक्षित गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में ही संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि "अनुमोदित खनन योजना में दर्शित माईनिंग लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर

सुरक्षा घेरे के दक्षिण सीमा के छोटे से भाग में अवस्थित क्रेशर के भाग से उत्खनन व पौधारोपण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं उक्त सीमा के पास की जगह आवागमन के लिए इस्तेमाल होगी साथ ही उसके बाहर स्वयं की भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।”

समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य है। उक्त क्षेत्र में क्रेशर स्थापित किया जाना संभव नहीं है। अतः क्रेशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करे, तदनुसार सरफेस प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 10,000 घनमीटर है, जिसमें से 7,000 घनमीटर मिट्टी को पूर्व से ही उत्खनित किया जा चुका है। शेष 3,000 घनमीटर मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। तदोपरांत यदि 3,000 घनमीटर मिट्टी में से भी मिट्टी शेष रह जाती है, तो शेष मिट्टी को समीपस्थ स्वयं की निजी भूमि में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा।
3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
4. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 900 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 45,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,00,000 रुपये, सिंचाई एवं खाद के लिए राशि 40,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,09,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,72,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
6. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि में सी.ई.आर. के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण के पश्चात् कम से कम 5 वर्षों तक रेख-रेख किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. क्रशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करे, तदनुसार सरफेस प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में उत्खनित 7,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी का संबंधित खनिज अधिकारी से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. स्वयं की भूमि जहां उत्खनित मिट्टी सुरक्षित रखी जायेगी उसका भूमि संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के उत्पादन आकड़े की महावार जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ऋ) समिति की 682वीं बैठक दिनांक 22/08/2025:

1. क्रशर को सलाह के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा, हालाँकि खनन योग्य भंडार में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि भंडार गणना के दौरान उस क्षेत्र को पहले ही गैर-खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ दिया गया है। अनुमोदित संशोधित खदान योजना की प्रति पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक GENCOR/1288/2025-MO RJN-QL-2 1128 राजनांदगांव, दिनांक 22/08/2025 के अनुसार - "आवेदित खदान 06.02.1997 से संचालित है तथा छग गौण खनिज

नियम 2015 के लागू होने के पूर्व ही अधिकांश उपरी मिट्टी निकाली जा चुकी है एवं वर्तमान में उत्खनित मिट्टी कि वास्तविक मात्रा तय कर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं है। क्षेत्र की भौगोलिक संरचना एवं अनुमोदित उत्खनन योजना अनुसार उपरी मिट्टी लगभग 1 मीटर तक उपलब्ध है जिसके पश्चात खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर है, उपरी मिट्टी का अनुमान कुल उत्खनन योग्य क्षेत्र से लगभग 01 मीटर तक उत्खनित मिट्टी के आधार पर किया गया है जो की लगभग 7000 घन मीटर हो सकता है।

अतएव पट्टेदार मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी, प्रो प्रशांत बोहरा, को उपसंच सदान क्षेत्र से उत्खनित मिट्टी कि वास्तविक मात्रा तय कर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं है, हेतु यह पत्र जारी किया गया।”

3. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –

आवेदित क्षेत्र कृषि भूमि का हिस्सा है और जलोढ़ मिट्टी 1 मीटर की गहराई तक मौजूद है, इसलिए खुदाई के दौरान लगभग 10,000 घन मीटर मिट्टी हटाई जानी थी, जिसमें से लगभग 7,000 घन मीटर मिट्टी पहले ही हटाई जा चुकी है। इसलिए योजना अवधि के दौरान निकाली गई लगभग 3,000 घनमीटर मिट्टी को 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में जमा किया जाएगा। निकाली गई मिट्टी को 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी के अंदर और आसपास वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। ऊपरी मिट्टी के भंडारण और रोकथाम के लिए कोई अन्य विशिष्ट व्यवस्था प्रस्तावित नहीं है। 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में रखने के बाद ऊपरी मिट्टी/ओवरबर्डन बच जाती है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमोदन के बाद पास की स्वामित्व वाली भूमि या पंचायत द्वारा प्रदान की गई भूमि (यदि आवश्यक हो) में जमा किया जाएगा।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक GENS/1757/2025-MO RJN-QL-2/1110 राजनांदगांव, दिनांक 20/08/2025 द्वारा किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन मात्रा टन में
2010-11	2,300
2011-12	2,110
2012-13	1,400
2013-14	3,254
2014-15	6,895
2015-16	10,268
2016-17	14,920
2017-18	5,000
2018-19	5,000
2019-20	4,995
2020-21	3,000
2021-22	5,000
2022-23	4,000
2023-24	निरंक

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 07.07.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P.) जारी की है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के ओ.ए. संख्या 34/2020 के आदेश के अनुपालन में ईआईए अधिसूचना 2006 के तहत उल्लंघन मामलों के संबंध में प्रावधान हैं।

इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 11 (बी) (i) में निम्नलिखित का उल्लेख है:-

“परिस्थिति निर्धारण के समय मौजूदा विनियमों के अनुसार, यदि यह पाया जाता है कि परियोजना गतिविधि अन्यथा अनुमेय है, तो संदर्भ की शर्तें (टीओआर) जारी की जाएंगी, जिसमें प्रभाव आकलन अध्ययन पूरा करने और पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के निर्देश शामिल होंगे।”

उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार और यदि मामला उल्लंघन का है, तो परियोजना प्रस्तावक को टीओआर में आवेदन करना होगा, लेकिन परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में, पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन को सूची से डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। और परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/कार्यालय ज्ञापन के अनुसार टीओआर के लिए आवेदन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ व
तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स रानीजरौद लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग (प्रो.- श्री विवेक अग्रवाल), ग्राम-रानीजरौद, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2099)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 79524 एवं 04/07/2022 ई.सी. - 451502 एवं 06/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.866 हेक्टेयर एवं 50,913.75 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	84, 85/1, 85/2, 86/2, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 एवं 66	संलग्न है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री विवेक अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एएमपीएल इन्व्हायरो प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री मोहम्मद महमूद गौस उपस्थित हुए।
भू-स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 श्री नंदकिशोर अग्रवाल, 85/1, 85/2, 86/2 श्री अंकित	खसरा क्रमांक 84 एवं 66 के भू-स्वामित्व संबंधित दस्तावेज (बी1 पी2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

	अग्रवाल के नाम पर है।	
पूर्व में जारी ई.सी.	1. पूर्व में आवेदक – श्री नंदकिशोर अग्रवाल खदान का प्रकार – चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक – 80, 81/1, 81/2, 81/3 एवं 81/4 क्षेत्रफल – 0.631 हेक्टेयर क्षमता – 11,025.88 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 14/02/2017 वैधता अवधि – 13/02/2022 2. पूर्व में आवेदक – श्री मनोज ठाकुर खदान का प्रकार – चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 84, 85/1, 85/2 एवं 86/2, क्षेत्रफल – 0.978 हेक्टेयर क्षमता – 9,664.67 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 14/02/2017 वैधता अवधि – 13/02/2022 3. पूर्व में आवेदक – श्री अंकित कुमार अग्रवाल खदान का प्रकार – चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 66 क्षेत्रफल – 1.121 हेक्टेयर क्षमता – 30,225 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 10/01/2017 वैधता अवधि – 09/01/2022	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से क्रमशः दिनांक 13/02/2023, 13/02/2023 एवं 09/01/2023 तक वैध थी।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित – नहीं क्षमता विस्तार के तहत – एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में	1. श्री नंदकिशोर अग्रवाल को स्वीकृत	1. श्री नंदकिशोर अग्रवाल को क्षमता

किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	चूना पत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 07/07/2022 2017-18 में 7,685 टन 2018-19 में 11,660 टन 2019-20 में 13,415 टन 2020-21 में 12,140 टन 2021-22 में 8,000 टन 2. श्री विवेक अग्रवाल को स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 07/07/2022 2017-18 में निरंक 2018-19 में निरंक 2019-20 में निरंक 2020-21 में 3,000 टन 2021-22 में निरंक 3. श्री अंकित अग्रवाल को स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 07/07/2022 2017-18 में 4,260 टन 2018-19 में 17,115 टन 2019-20 में 7,395 टन 2020-21 में 13,965 टन 2021-22 में 12,610 टन	— 11,025.88 टन प्रतिवर्ष प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2018-19 में 11,660 टन, 2019-20 में 13,415 टन एवं 2020-21 में 12,140 टन में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्खनन किये जाने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। 2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति श्री मनोज ठाकुर के नाम पर है, परंतु खनिज विभाग द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में श्री विवेक अग्रवाल का नाम उल्लेखित है। उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत रानीजरौद दिनांक 19/02/2014	क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 23/05/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 05/07/2022	33 खदानें, रकबा 62.363 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 05/07/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड का विवरण	1. लीज धारक — श्री विवेक कुमार अग्रवाल खसरा क्रमांक — 84, 85/1, 85/2, 86/2 कुल क्षेत्रफल — 0.978 हेक्टेयर वैधता अवधि — 27/07/2006 से 26/07/2036 2. लीज धारक — श्री नंदकिशोर अग्रवाल खसरा क्रमांक — 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4	समामेलन पश्चात् कुल क्षेत्र — 2.866 हेक्टेयर

	कुल क्षेत्रफल – 0.631 हेक्टेयर वैधता अवधि – दिनांक 15/01/2009 से 14/01/2039 तक 3. लीज धारक – श्री अंकित अग्रवाल खसरा क्रमांक – 66 कुल क्षेत्रफल – 1.121 हेक्टेयर वैधता अवधि – दिनांक 10/03/2017 से 09/03/2047 तक 4. शामिल क्षेत्र नियम 57 (6) के अनुसार - लीज धारक – श्री नंदकिशोर अग्रवाल खसरा क्रमांक – 80 कुल क्षेत्रफल – 0.06 हेक्टेयर - लीज धारक – शासकीय भूमि खसरा क्रमांक – 84 कुल क्षेत्रफल – 0.04 हेक्टेयर - लीज धारक – श्री अंकित अग्रवाल खसरा क्रमांक – 85/2 कुल क्षेत्रफल – 0.03 हेक्टेयर	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 21/10/2022	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – रानीजरौद 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम – रानीजरौद 1.5 कि.मी. अस्पताल – सुहेला 2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 35 कि.मी. राज्यमार्ग – 15 कि.मी.	संलग्न है।
पारिस्थितिकीय /जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 50,913.50 टन

विवरण	ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ रिजर्व – जियोलॉजिकल 17,62,460 टन माईनेबल 7,23,545 टन रिकवरेबल 6,87,367 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 14.3 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – हाँ क्षेत्रफल – 600 वर्गमीटर	द्वितीय 50,913.50 टन तृतीय 47,812.50 टन चतुर्थ 50,775.00 टन पंचम 50,892.50 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 8,780 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख – हाँ रेस्टोरेशन प्लान – हाँ
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 6,995 घनमीटर	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर प्रतिदिन स्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,755 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,32,900 रुपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 681, दिनांक 22/06/2023	1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग – 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 PM _{2.5} – 19.92 से 19.56 µg/m ³ PM ₁₀ – 123.2 से 139.23 µg/m ³ SO ₂ – 7.22 से 8.35 µg/m ³ NO ₂ – 15.23 से 18.81 µg/m ³ Noise level - dB (A) Day L _{eq} – 49.4 से 53.7 Night L _{eq} – 39.2 से 42.8 PM ₁₀ का मान उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य – जनवरी 2024 से फरवरी 2024 PM _{2.5} – 22.6 से 41.4 µg/m ³ PM ₁₀ – 61.9 से 93.8 µg/m ³ SO ₂ – 8.9 से 14.9 µg/m ³ NO ₂ – 10.7 से 17.6 µg/m ³	गुणवत्ता मापन स्थल: परिवेशीय वायु – 08 भू-जल – 03 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 04 मिट्टी के नमूने – 03 अतिरिक्त गुणवत्ता मापन स्थल: परिवेशीय वायु – 08 भू-जल – 06 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 08 मिट्टी के नमूने – 06 फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

	Noise level - dB (A) Day L_{eq} - 48.1 से 53.2 Night L_{eq} - 42.3 से 48.2 निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।	
पी.सी.यू. की गणना	पक्का रोड हेतु वर्तमान में 250 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.16 परियोजना उपरांत 550 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.36	पक्का रोड हेतु लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक Very Good के भीतर है।
जी.एल.सी. की गणना	PM ₁₀ का अधिकतम मान 96.81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है।	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 23/09/2023 समय - प्रातः 10:00 बजे स्थान - ग्राम - रानीजरौद स्थित निजी भूमि (खसरा क्रमांक 607) तहसील - सिमगा, जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 19/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. ग्राम वासियों को रोजगार नहीं मिलता है, गांव के लोगो को रोजगार मिले। 2. ब्लॉस्टिंग से ग्रामवासियों की दिनचर्या प्रभावित होती है। ब्लॉस्टिंग नहीं होना चाहिए। 3. गाँव का जल स्तर नीचे जा रहा है। गर्मियों में पीने के पानी की समस्या होती है।	निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:- 1. खदान चालू होने से ग्राम वासियों को रोजगार मिलेगा। 2. कन्ट्रोल ब्लॉस्टिंग किया जायेगा। 3. शासन द्वारा जारी सभी शर्तों का पालन करते हुए खनन किया जायेगा।
सी.ई.एम.पी.	क्लस्टर में कुल 33 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 2,39,16,500 रुपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता: प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 10,83,449 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत, एम.सी.आर. के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन करने, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की

		अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 65.229 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाले खदानों में से कुछ खदानों का अमलगमेशन होने के कारण खदानों की संख्या में परिवर्तन हो गया है। अतः समिति का मत है कि आवेदित खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति में जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम-रानीजरौद, तहसील-सिमगा के खसरा क्रमांक 80, 81/1, 81/2, 81/3 एवं 81/4 में खनिज चूना पत्थर मात्रा-480 टन का अवैध रूप से खनन किये जाने के संबंध में श्री नंदकिशोर अग्रवाल द्वारा अर्थदण्ड राशि 2,19,400 रुपये जमा की गई है, जिसके रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

5. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50.6	2%	1.01	Following activities at Nearby, Govt. Primary school at, Village- Khapri	
			Plantation	3.12
			Total	3.12

6. सी.ई.आर. के तहत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 150 नग पौधों के लिए राशि 7,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,28,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 10,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,71,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,41,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

7. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 एवं 28/01/2022 के माध्यम से उल्लंघन की प्रकरण हेतु एस.ओ.पी. तैयार किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/01/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:-

"Stay of operation of the Office Memorandum dated 7th July, 2021 and 28th January 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change."

9. माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/02/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:-

"5. We clarify that our orders dated 02nd January, 2024 would not come in the way of the competent authorities in considering the proposals for modifications/alterations in the Environmental Clearances if area of such projects had any valid environmental clearances prior to 07th July, 2021.

6. Needless to state that such applications for modification/alteration would be considered by the competent authorities strictly in accordance with law as it existed prior to 07th July, 2021.

7. We further clarify that our order should not be construed as having stayed any proceedings before any High Courts touching the subject matter of the Office Memoranda, referred to above."

10. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 में PM₁₀ - 123.2 से 139.23 µg/m³ है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक

है। उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिगत स्वयं के संज्ञान में लेते हुये अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिसमें PM_{10} - 61.9 से 93.8 $\mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। अतः समिति का मत है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. श्री नंदकिशोर अग्रवाल को क्षमता - 11,025.88 टन प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2018-19 में 11,660 टन, 2019-20 में 13,415 टन एवं 2020-21 में 12,140 टन में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्खनन किये जाने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अनुसार Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति श्री मनोज ठाकुर के नाम पर है, परंतु खनिज विभाग द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में श्री विवेक अग्रवाल का नाम उल्लेखित है। उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. खसरा क्रमांक 84 एवं 66 के भू-स्वामित्व संबंधित दस्तावेज (बी1 एवं पी2) प्रस्तुत किया जाए।
5. क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
8. फलोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. आवेदित खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति में जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

10. सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण किये जाने बाबत ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
11. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, सी.ई.आर. के तहत निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत, हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये।
12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM₁₀ की मात्रा में अंतर आने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
14. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचाराधीन था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 22/05/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(द) समिति की 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त न होने के स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र क्रमांक 277, दिनांक 12/04/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त शर्तों का पालन किया जाना बताया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में उत्पादन आंकड़े की जानकारी भण्डारण के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में पुनः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1224/बी 3-3/न.क्र. 10/2008, दिनांक 04/10/2024 के माध्यम से जारी उत्पादन आंकड़े की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार:-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	उत्पादित खनि की मात्रा (टन में)
1.	2017-18	7,800
2.	2018-19	9,500
3.	2019-20	10,957
4.	2020-21	10,550
5.	2021-22	6,000

उपरोक्त विवरण अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये उत्खनन की अधिकतम मात्रा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की मात्रा से कम है।

3. खदान के सम्मेलन के पूर्व में तीन अलग-अलग खदान थी, जिसमें से एक खदान श्री मनोज ठाकुर के नाम पर थी जो दिनांक 23/12/2019 को श्रीमान कलेक्टर महोदय, बलौदाबाजार की अनुशंसा से श्री विवेक अग्रवाल को हस्तांतरित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 01/04/2022 को संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर के आदेश से श्री विवेक अग्रवाल, श्री नन्द किशोर अग्रवाल एवं श्री अंकित अग्रवाल की खदानों को श्री विवेक अग्रवाल के नाम से सम्मेलन किया गया है। श्री मनोज ठाकुर से श्री विवेक अग्रवाल को लीज हस्तांतरण की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
4. खसरा क्रमांक 84 एवं 66 के भू-स्वामित्व संबंधित दस्तावेज (बी1 एवं पी2) प्रस्तुत किया गया है।
5. क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत रानीजरौद का दिनांक 18/10/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार वनमंडल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/852 बलौदाबाजार, दिनांक 20/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन कक्ष क्रमांक 24 खैरवारडीह की सीमा से 10.5 कि.मी., निकटतम वन्यजीव अभ्यारण बारनवापारा 52.7 कि.मी. एवं लीज क्षेत्र से निकटतम टायगर रिजर्व अचानकमार 98.3 कि.मी. दूर है।
7. खदान पूर्व से संचालित है। अतः अधिकतम ऊपरी मिट्टी पहले से ही निकाली जा चुकी है वर्तमान में 6.995 घनमीटर ऊपरी मिट्टी शेष बची हैं जिसे 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा।
8. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
9. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 197/बी 3-3/न.क्र. 41/2006 बलौदाबाजार, दिनांक 25/04/2024 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 26 खदानें, क्षेत्रफल 57.153 हेक्टेयर है।
10. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम-खपरीकला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किये जाने बाबत स्कूल के प्राचार्य का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
11. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, सी.ई.आर. के तहत निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत, हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 में PM₁₀ की मात्रा में अंतर पाये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि मॉनिटरिंग अवधि 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 के दौरान आयोजित किया गया था। अध्ययन अवधि के दौरान खनन गतिविधि कुछ अधिक था, जिसके कारण PM₁₀ की मात्रा अधिक थी एवं जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में वातावरण में नमी के कारण PM₁₀ का मान कुछ कम पाया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण तथा क्रशर प्लान के हॉफर बंकर से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाएगा।

14. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावेगा एवं क्रेशर प्लांट में भी नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावेगा।
15. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स रानीजरौद लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग (प्रो.- श्री विवेक अग्रवाल) को ग्राम-रानीजरौद, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के खसरा क्रमांक 84, 85/1, 85/2, 86/2, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 एवं 66 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान (डी.ई.आई.ए.ए., जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा तीन खदानों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के समायोजन के तहत) कुल क्षेत्रफल-2.866 हेक्टेयर, क्षमता - 50,913.50 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2025 को संपन्न 194वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा तीन पर्यावरणीय स्वीकृति पृथक-पृथक जारी किया गया था। वर्तमान में तीनों खदानों को समायोजन कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्राधिकरण का मत है कि पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा जारी तीनों पर्यावरणीय स्वीकृति का दायित्व समाप्त किया गया है अथवा नहीं? तथा पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में वृक्षारोपण कार्य किया जाना था, वह किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ से अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 02/07/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 30/07/2025 के माध्यम से 672वीं बैठक दिनांक 31/07/2025 को रखा गया है।

(इ) समिति की 672वीं बैठक दिनांक 31/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा तीन पर्यावरणीय स्वीकृति पृथक-पृथक जारी किया गया था। वर्तमान में तीनों खदानों को समायोजन कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। उक्त तीनों लीज के अलग-अलग पर्यावरण स्वीकृति अनुसार तीनों का अलग अलग पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण बोर्ड कबीर नगर रायपुर से प्राप्त किया गया एवं दिनांक: 12/04/2024 को प्रदुषण संरक्षण बोर्ड पर्यावास भवन, अटल नगर, नया रायपुर छ.ग. में जमा किया गया, जिसके अनुसार-

1. पूर्व में आवेदक - श्री अंकित कुमार अग्रवाल
खदान का प्रकार - चूना पत्थर खदान
खसरा क्रमांक 66
क्षेत्रफल - 1.121 हेक्टेयर
क्षमता - 30,225 टन प्रतिवर्ष
दिनांक - 10/01/2017

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त न होने के स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र क्रमांक 238, दिनांक 09/04/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त शर्तों का पालन किया जाना बताया गया है।

श्री अंकित अग्रवाल के द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 50 नग वृक्षारोपण किया गया है।

2. पूर्व में आवेदक – श्री नंदकिशोर अग्रवाल

खदान का प्रकार – चूना पत्थर खदान

खसरा क्रमांक – 80, 81/1, 81/2, 81/3 एवं 81/4

क्षेत्रफल – 0.631 हेक्टेयर

क्षमता – 11,025.88 टन प्रतिवर्ष

दिनांक – 14/02/2017

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त न होने के स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र क्रमांक 163, दिनांक 04/04/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त शर्तों का पालन किया जाना बताया गया है।

श्री नंदकिशोर अग्रवाल के द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 30 नग वृक्षारोपण किया गया है।

3. पूर्व में आवेदक – श्री मनोज ठाकुर

खदान का प्रकार – चूना पत्थर खदान

पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 84, 85/1, 85/2 एवं 86/2,

क्षेत्रफल – 0.978 हेक्टेयर

क्षमता – 9,664.67 टन प्रतिवर्ष

दिनांक – 14/02/2017

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त न होने के स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र क्रमांक 277, दिनांक 12/04/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त शर्तों का पालन किया जाना बताया गया है।

श्री मनोज ठाकुर के द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 40 नग वृक्षारोपण किया गया है।

4. इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष लीज क्षेत्र के चारों ओर 300 नग वृक्षारोपण किया गया है। जिसका फोटोग्राफ संगलन हैं। सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय उच्च

माध्यमिक शाला, खपरी में भी 300 नग वृक्षारोपण किया गया हैं। स्कूल का सी. ई.आर. में किये गये वृक्षारोपण कार्य का पूर्णता पत्र संलग्न किया गया हैं।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा तीन पर्यावरणीय स्वीकृति पृथक-पृथक जारी किया गया था। वर्तमान में तीनों खदानों को समायोजन कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

तीनों खदानों को जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के दायित्व के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को पुनः प्रस्तुतिकरण हेतु बुलाया जाना आवश्यक है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक में प्रस्तुत होने हेतु निर्देशित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 672वीं बैठक दिनांक 31/07/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(उ) समिति की 682वीं बैठक दिनांक 22/08/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, परियोजना प्रस्तावक एवं श्री शाहिद अली, आर. क्यू. पी. उपस्थित हुए।

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा तीन पर्यावरणीय स्वीकृति पृथक-पृथक जारी किया गया था। वर्तमान में तीनों खदानों को समायोजन कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। उक्त तीनों लीज के अलग-अलग पर्यावरण स्वीकृति अनुसार तीनों का अलग अलग पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण बोर्ड कबीर नगर रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार समस्त शर्तों का पालन किया जाना बताया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2025 के माध्यम से निम्न शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया:-

1. यह कि ग्राम-रानीजरौंद, तहसील सुहेला, जिला- बलौदाबाजार -भाटापारा (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक- 84, 85/1,2, 86/2, 80, 81/1,2,3,4,66 कुल लीज क्षेत्र 2.866 हेक्टेयर में निम्न क्षेणी चूना पत्थर क्वारी (गौण खनिज) का उत्खनि पट्टा हेतु स्वीकृत है।
2. यह कि उक्त उत्खनि पट्टा पूर्व में तीन अलग अलग लीज में स्वीकृत थी।
3. यह कि उक्त उत्खनि पट्टा पूर्व में तीन अलग अलग पर्यावरण स्वीकृत जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) से प्राप्त थी।

4. यह कि उक्त उत्खनि पट्टा के पूर्व में तीन अलग अलग पर्यावरण स्वीकृत का पाल प्रतिवेदन के प्रमाणित कॉपी क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण मंडल, कबीर नगर, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई थी ।
5. यह कि मैं विवेक अग्रवाल, पिता श्री विजय अग्रवाल सपथ पूर्वक यह आश्वासन देता हूँ की जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) से पूर्व में स्वीकृत तीन अलग-अलग पर्यावरण स्वीकृति में दिए गए शर्तों का बिन्दुवार पालन करूँगा। एवं स्वीकृति में दिए गए शर्तों का बिन्दुवार पालन न करने की स्थिति में विभाग द्वारा किये जाने वाला कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी, और इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावेगा एवं क्रेसर प्लांट में भी नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावेगा।
2. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—
 - c) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - d) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स रानीजरौद लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग (प्रो.- श्री विवेक अग्रवाल) को ग्राम-रानीजरौद, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के खसरा क्रमांक 84, 85/1, 85/2, 86/2, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 एवं 66 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान (डी.ई.आई.ए.ए., जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा तीन/खदानों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के समायोजन के तहत) कुल क्षेत्रफल-2.866 हेक्टेयर, क्षमता – 50,913.50 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-05** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स गणपति मेटल्स एंड मिनरल्स लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री गौतम चंद जैन), ग्राम-तालपुर, तहसील-सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1512)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 192949/2021, दिनांक 13/01/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि किये जाने हेतु दिनांक 20/04/2023 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. खदान ग्राम-तालपुर, तहसील-सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम के खसरा क्रमांक 41/1, 41/3, 43/5, 43/8, 43/9 एवं 43/10 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.457 हेक्टेयर, क्षमता – 33,750 टन प्रतिवर्ष की है।
2. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 579, दिनांक 25/06/2021 द्वारा ग्राम-तालपुर, तहसील-सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम के खसरा क्रमांक 41/1, 41/3, 43/5, 43/8, 43/9 एवं 43/10 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.457 हेक्टेयर, क्षमता – 33,750 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

“मेरे गौण खनिज चूना पत्थर खदान जो ग्राम-तालपुर, तहसील-सहसपुरलोहारा, जिला-कबीरधाम के खसरा क्रमांक 41/1,41/3, 43/5, 43/8, 43/9 एवं 43/10, कुल रकबा 1.457 हेक्टेयर के लिए पर्यावरण स्वीकृति जारी दिनांक से 2 वर्ष के लिए प्रदान की गई थी तथा कंडिका क्रं - 3 में उल्लेख किया गया था कि सेफ्टी जोन के खुदे हुए भाग को पुनःभराव करने के पश्चात् लीज की पर्यावरण स्वीकृति की अवधि में वृद्धि की जाएगी। मेरे द्वारा सेफ्टी जोन पर पुनःभराव का कार्य कर लिया गया है तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन तथा अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन जमा किया गया।

अतः पर्यावरण स्वीकृति की अवधि को लीज अवधि तक मान्य करने हेतु अनुरोध किया गया है।”

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संपन्न 146वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में पूर्व से उत्खनित भाग को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण करने हेतु खनिज विभाग से पुष्टि कराकर प्रतिवेदन सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये वृक्षारोपण की जियोटैग फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/01/2024 को संपन्न 160वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 649/ख.लि. /खनिज/2023 कबीरधाम, दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार “लीज अवधि के पूर्व सीमा क्षेत्र के कुछ भाग पर 7.5 मीटर पट्टी पर लगभग 8 से 10 मीटर गड्ढा था, जो कि पूर्ण रूप से पुनः भराव कर वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किया गया है। उक्त संबंध में दिनांक 24/07/2023 को ग्रामवासियों के समक्ष जांच किया गया। जांच पर पाया गया कि उक्त सीमा क्षेत्र में 7.5 मीटर पट्टी पर पूर्व में हुए गड्ढे लगभग 8-10 मीटर का पुनः भराव कर वृक्षारोपण कार्य किया गया है।” होना बताया गया है।
2. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये वृक्षारोपण की जियोटैग फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है।

3. प्राधिकरण द्वारा पाया गया कि पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 579, दिनांक 25/06/2021 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति "आवेदक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 6 माह के भीतर, पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। तत्पश्चात् उनके द्वारा कार्यपूर्ति प्रतिवेदन जमा करने उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि वृद्धि की जाएगी।" शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी करने का निर्णय लिया गया था।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार "(iv) The prior Environmental Clearance granted for mining projects shall be valid for the project life as laid down in the mining plan approved and renewed by competent authority, from time to time, subject to a maximum of thirty years, whichever is earlier: " का उल्लेख है।
2. उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13/12/2022 अनुसार निम्नानुसार प्रावधान है:—

The validity of the Environmental Clearances, which had not expired as on the date of publication of Notification i.e. 12/04/2022, shall stand automatically extended to respective increased validity as mentioned at para no. 1 column (C) above:

Provided that the period of validity of Environmental Clearance with respect to the type of Projects and Activities listed at Para 1 above may be extended in respect of valid Environmental Clearance, by the regulatory authority concerned, by a maximum period of years as indicated at Para No. 1 Column (D) above, if an application is made in the laid down proforma to the regulatory authority by the applicant as per the provisions of EIA Notification 2006: Provided further that the regulatory authority may also consult the concerned Expert Appraisal Committee before grant of such extension.

Type of Project	Earlier EC validity (Years) (A)	Further extendable for (Years) (B)	Increased EC validity (Years) (C)	Further extendable for (Years) (D)
-----------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

River Valley projects	10	3	13	2
Nuclear Projects	7	3	15	5
Projects other than River Valley, Nuclear and Mining Projects.	7	3	10	1
Mining Projects	30		30 (Subject to adequacy of EIA/EMP to be reviewed every 5 years after 30 Years)	20

3. उपरोक्त अधिसूचना एवं जारी आफिस मेमोरेण्डम के अनुक्रम समिति का मत है कि खनिज विभाग द्वारा जारी अनुमोदित माईनिंग प्लान की वैध प्रति मंगाया जाना आवश्यक है। साथ ही लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में रोपित किये गये पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का स्व-प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. खनिज विभाग द्वारा जारी अनुमोदित माईनिंग प्लान की वैध प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में रोपित किये गये पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों में निहित सी.ई.आर. के संबंध में किये गये कार्य की जानकारी एवं संबंधित विभाग से कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/06/2024 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 682वीं बैठक दिनांक 22/08/2025:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का स्व-प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. खनिज विभाग द्वारा जारी अनुमोदित माइनिंग प्लान की वैध प्रति प्रस्तुत की गयी है।

उत्खनन योजना – अनुमोदित उत्खनन योजना प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला- बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक/858/खनि.लि/उ.यो./2018, बेमेतरा, दिनांक 25/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।

खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,80,495 टन, माइनेबल रिजर्व 1,74,887 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,66,143 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,400 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.50 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5.20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। गैर माइनिंग क्षेत्र – 581 वर्गमीटर क्षेत्र। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	33,750
द्वितीय	33,750
तृतीय	33,750
चतुर्थ	33,750
पंचम	33,750

3. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में रोपित किये गये पौधों का जिओटैग फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों में निहित सी.ई.आर. के संबंध में किये गये कार्य की जानकारी प्रस्तुत की गयी है एवं प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला तालपुर तह. – सहसपुर लोहार, जिला – कबीरधाम से कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत कि गयी है। प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला तालपुर तह. – सहसपुर लोहार, जिला – कबीरधाम के पत्र अनुसार "परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2021 माह जुलाई में शासकीय प्राथमिक शाला तालपुर तह. – सहसपुर लोहार, जिला – कबीरधाम में वाटर कूलर एवं पर्यावरण संबंधी पुस्तक एवं वाटर हार्वैस्टिंग का कार्य प्रदाय किया गया था।"
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में निम्न प्रावधान है:-

"Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease."

"The prior Environmental Clearance granted for mining projects shall be valid for the project life as laid down in the mining plan approved and renewed by competent authority, from time to time, subject to a maximum of thirty years, whichever is earlier."

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13/12/2022 के पैरा 2(i) "The validity of the Environmental Clearances, which had not expired as on the date of publication of Notification i.e. 12/04/2022, shall stand automatically extended to respective increased validity as mentioned at para no. 1 column (C) {which is 30 years}" का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13/12/2022 के अनुसार परिशिष्ट-06 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरण स्वीकृति की अवधि को अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित खदान के जीवनकाल तक या खनन पट्टा दिए जाने की तारीख से 30 वर्ष तक, जो भी पहले हो, तक मान्य किये जाने की अनुशंसा की गई है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

मेसर्स मुरकी सेण्ड क्वारी (प्रो.- श्रीमती जगजीत कौर)

को खसरा क्रमांक 569, कुल क्षेत्रफल - 4.80 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम-मुरकी, तहसील एवं जिला-महासमुंद, में बगनई नदी से रेत उत्खनन क्षमता 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेण्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेण्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाइन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 4.80 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.0 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का किसी भी समय अधिकतम उत्पादन या चरम उत्पादन पहले वर्ष में 28,800 घन मीटर की क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए और बाद के वर्षों में उत्पादन क्षमता को आरएल अध्ययन के अनुसार या 28,800 घन मीटर, जो भी कम हो, के अनुसार की जाएगी।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित गिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही गिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 एवं पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे- जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.0 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। नदी के स्वतंत्र बहाव (Free flow of river) को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,100 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53.42	2%	1.06	Following activities at Nearby, Village Pond, Khasra no. 456, Village- Murki	
			Plantation work around village pond	4.99
			Total	4.99

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारो ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 200 नग पौधों के लिए राशि 15,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,48,700 रुपये, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 66,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,29,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,70,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम मुरकी के तालाब के चारो ओर (खसरा क्रमांक 456) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। सी.ई.आर. के तहत ग्राम मुरकी के तालाब के चारो ओर प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

26. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

27. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

29. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

30. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
32. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।
33. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
34. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
35. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
37. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर,

क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
40. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
41. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स झिरियाकला लाईम स्टोन (माईनर मिनरल) क्वारी (प्रो.-श्री भीखमचंद शर्मा)
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 395, कुल लीज क्षेत्र 0.52 हेक्टेयर, ग्राम-झिरियाकला,
तहसील-पंडरिया, जिला-कबीरधाम में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 3,967.50 टन
प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.52 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 3,967.50 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 और उसके संशोधन के अनुसार, अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित खदान के जीवनकाल तक या खनन पट्टा दिए जाने की तारीख से 30 वर्ष तक, जो भी पहले हो, तक रहेगी।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाक्रतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-

grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27	2%	0.54	Following activities at Govt. Middle School Village - Jhiriyakala	
			Plantation in School	0.78
			Total	0.78

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (आंवला, जामुन, कदम, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 4,800 रुपये, ट्री-गार्ड हेतु राशि 12,000 रुपये, खाद के लिए राशि 300 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 29,100 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,840 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) के सहमति उपरांत स्कूल परिसर के भीतर वृक्षारोपण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
22. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 400 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण पूर्ण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 26 नग पौधों का रोपण (कुल 104 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज फेसीलिटी सहित) लगाया जाए।
33. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

34. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, दुर्ग एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट-03

मेसर्स फरहदा लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री एकांत पारप्यानी)

**को खसरा क्रमांक 602/1, 602/2 एवं 602/3, कुल लीज क्षेत्र 1.197 हेक्टेयर,
ग्राम-फरहदा, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में चूना पत्थर (गौण खनिज)
उत्खनन - 20,000.30 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.197 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 20,000.30 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 और उसके संशोधन के अनुसार, अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित खदान के जीवनकाल तक या खनन पट्टा दिए जाने की तारीख से 30 वर्ष तक, जो भी पहले हो, तक रहेगी।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-

grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34	2%	0.68	Following activities at, Government Primary School Village- Farhada	
			Plantation	1.34
			Total	1.34

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर वृक्षारोपण के तहत (पीपल, नीम, आम, जामुन, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्कूल के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
22. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 897 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण पूर्ण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 65 नग पौधों का रोपण (कुल 239 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज फेसीलिटी सहित) लगाया जाए।
33. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

34. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट-04

मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.-श्री सिद्धेश्वर प्रकाश अग्रवाल)
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 107, कुल लीज क्षेत्र 1.3 हेक्टेयर, ग्राम-पतेरापाली,
तहसील-बसना, जिला-महासमुंद में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 10,526 टन
प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.3 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 10,526 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 और उसके संशोधन के अनुसार, अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित खदान के जीवनकाल तक या खनन पट्टा दिए जाने की तारीख से 30 वर्ष तक, जो भी पहले हो, तक रहेगी।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
8. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मीटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन

पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.80	2%	0.81	Following activities at, Village-Lohdipur	
			Plantation around village Pond	8.12
			Total	8.12

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल आदि) 50 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 11,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद के लिए राशि 250 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,56,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,87,250 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,25,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत लोहड़ीपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 87, क्षेत्रफल 1.34 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

22. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 897 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण पूर्ण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 65 नग पौधों का रोपण (कुल 260 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज फेसीलिटी सहित) लगाया जाए।

33. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
34. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स रानीजरौद लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग (प्रो.— श्री विवेक अग्रवाल)
को खसरा क्रमांक 84, 85/1, 85/2, 86/2, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 एवं 66,
कुल लीज क्षेत्र 2.866 हेक्टेयर, ग्राम—रानीजरौद, तहसील—सिमगा,
जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन — 50,913.75 टन
प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.866 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 50,913.75 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 और उसके संशोधन के अनुसार, अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित खदान के जीवनकाल तक या खनन पट्टा दिए जाने की तारीख से 30 वर्ष तक, जो भी पहले हो, तक रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षेप एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।

6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईनिंग क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मीटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।
17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्तावित कार्य 5 वर्ष के लिए राशि 10,83,449 रुपये के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

50.6	2%	1.01	Following activities at Nearby, Govt. Primary school at, Village- Khapri	
			Plantation	3.12
			Total	3.12

23. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
24. सी.ई.आर. के तहत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 150 नग पौधों के लिए राशि 7,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,28,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 10,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,71,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,41,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्कूल के प्राचार्य (Principal) के सहमति उपरांत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
25. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
26. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
27. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,755 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित घट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
28. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 170 नग पौधों का रोपण (कुल 573 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का

ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

29. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
30. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
31. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
34. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइ रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय

व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

39. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट

शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

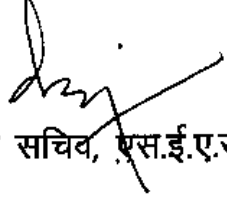

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स गणपति मेटल्स एंड मिनरल्स लाईम स्टोन माईन
(प्रो.- श्री गौतम चंद जैन)

को खसरा क्रमांक 41/1, 41/3, 43/5, 43/8, 43/9 एवं 43/10, कुल लीज क्षेत्र 1.457 हेक्टेयर, ग्राम-तालपुर, तहसील-सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 33,750 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 और उसके संशोधन के अनुसार, अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित खदान के जीवनकाल तक या खनन पट्टा दिए जाने की तारीख से 30 वर्ष तक, जो भी पहले हो, तक रहेगी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.





